महत्वपूर्ण

संख्या : 10/18-2-2006

प्रेषक,

बी० बी० सिंह बिस्येन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर ।

लघु उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 02 मार्च, 2006

विषय :- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आवश्यकतानुसार गाँवों में जमीन लघु उद्योग लगाने हेतु दिये जाने में सहायता दी जायेगी ।

2. उद्योग निदेशालय द्वारा प्रदेश में ग्रामीण औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से विकास खण्ड स्तर पर 168 मिनी औद्योगिक आस्थान एवं 38 वृहद औद्योगिक आस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित है। इन मिनी/वृहद औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड आवंटन हेतु स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

3. उद्यमियों द्वारा औद्योगिक आस्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सुविधानुसार उद्योग लगाने के लिये भूमि हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर यथा आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजकर उद्यमी को यथा आवश्यक उपलब्ध कराई जायेगी । इस हेतु आवश्यक भुगतान सम्बन्धित उद्यमी द्वारा किया जायेगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों का कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अपने स्तर से जिला उद्योग केन्द्रों को आवश्यक आदेश जारी करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(बी० बी० सिंह बिस्येन)
सचिव ।

क्रमशः-2